

18/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक कदालत
न्याय कोर्टे डार 2018 के कम्प-मीडिया
तला में पेश हुये चूंकि भूलवाद विद्वा
होने के कारण इस क्विज में क्व
आगे की कार्यवाही का कोई ऑनियन
नहीं रहा। आज इस क्विज में आगे
की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की
जाके इस न्यायालय द्वारा जारी अधिन
आदेश दि. 27/12/17 को निरस्त किया
जाना है। पत्रावली के फल शुभार होके
दाखिल समत है।

सहायक कलक्टर
चौहटन